By Dr. Shailesh Kumar
Deptt. of Economics
Raja Singh College
Siwan

करों के प्रभावों का अध्ययन :
(Study of effects of taxation)

करों के प्रभावों का अध्ययन हम तीन खण्डों में बाँटकर करते हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) उत्पादन एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव
(ii) आय और धन वितरण पर प्रभाव
(iii) आर्थिक स्थिरता और कीमतों में वृद्धि पर प्रभाव

(1) उत्पादन एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव :— (Effect on Production and Economic Growth)

करों के इन प्रभावों को दो मुख्य धाराओं में बाँटा जा सकता है।

• वर्तमान उत्पादन संसाधनों के प्रयुक्ति-ढाँचे (resource allocation) में परिवर्तन :

प्रो० मार्शल (Prof. Marshall) ने इस तथ्य को मान्यता दी कि संसाधनों का वितरण इष्टतम ढाँचे से भिन्न हो सकता है तथा इस स्थिति के सुधार के लिए करारोपण नीति का प्रयोग किया जा सकता है। मार्शल का कहना था कि किसी वस्तु / सेवा पर करारोपण से उससे प्राप्य कर-राजस्व और 'उपभोक्ता अधिशेष' (consumer surplus) दोनों में परिवर्तन होता है। परन्तु इन परिवर्तनों की मात्राएँ बहुधा असमान होती हैं। इस संदर्भ में मार्शल ने यह मान्यता अपनाई कि इनमें से किसी एक अथवा दोनों के बढ़ने पर सामाजिक हित में भी उसी के बराबर वृद्धि होती है। और इसी प्रकार किसी एक अथवा दोनों के घटने पर सामाजिक हित उतना ही घट जाता है। अतः मार्शल ने कर-राजस्व और उपभोक्ता अधिशेष पर करारोपण के संभावित प्रभावों की

Scanned by CamScanner

तुलना करते हुए कुछ नीति-निष्कर्ष सुझाए।

मूल तथ्य (Basic fact) - प्रत्यक्ष करों के संसाधन आवंटन पर प्रभाव का कारण यह है कि इन करों से आय के विभिन्न आय स्त्रोतों के तुलनात्मक आकर्षण में अंतर पड़ जाता है। अतः कर-ढाँचे में परिवर्तन के कारण किसी स्त्रोत से मिलने वाली करोपरांत आय में तुलनात्मक वृद्धि होने पर उत्पादन संसाधन की उसी स्त्रोत में लगाए जाने की प्रवृत्ति सक्षम हो जाती है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक यह चाहता है कि इसकी करोपरांत आय अधिकतम संभव हो। इसलिए वह विभिन्न रोज़गारों से संभावित करोपरांत (निवल) आय का अनुमान लगाता है। यदि किसी विशेष रोज़गार से प्राप्य आय पर कर घटा दिया जाए तो श्रमिक के लिए इस रोज़गार की आकर्षकता बढ़ जाएगी। यही बात निवेश से होने वाली आय पर भी लागू होती है।

रोज़गारों में श्रम आवंटन का उदाहरण (Example of Allocation of Labour) - व्याख्या के लिए पहले श्रम के रोजगार आवंटन पर विभिन्न करों के प्रभाव पर दृष्टि डाली जा सकती है। इसके लिए हम यह मानकर चलते हैं कि श्रमिक वर्ग किसी रोज़गार विशेष से मिलने वाली आय तथा उस रोज़गार की अप्रियता की तुलना करता है। बाज़ार में संतुलन प्रक्रिया के कारण सामान्यतौर पर हर रोज़गार की अप्रियता तथा उससे प्राप्त प्राप्य निवल आय में एक सीधा संबंध रहता है, अर्थात् जो रोज़गार जितना अधिक अप्रिय होगा उससे प्राप्य आय भी उतनी ही अधिक होगी। ऐसी संतुलन की स्थिति में यदि सभी आयों पर आनुपातिक कर लगा दिया जाए तो अधिक श्रम-आय वाले रोज़गारों का तुलनात्मक आकर्षण कम हो जाएगा तथा श्रमिकों की उन रोज़गारों में जाने की इच्छा कमज़ोर पड़ जाएगी। यदि आय-कर की दरें अनुपाती न होकर प्रगामी हों तो ऊँची आय वाले रोज़गारों की स्वीकारिता और भी अधिक घटती है तथा इन श्रम के चले जाने की प्रवृत्ति और भी सुदृढ़ हो

Scanned by CamScanner

जाती है।
परंतु कुछ लोग इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जब कोई श्रमिक दो रोज़गारों की तुलना करता है तो वह यह नहीं चाहता कि उनसे प्राप्य आय में एक पूर्व निश्चित परिशुद्ध (absolute) राशि का अंतर हो। वह यह चाहता है कि यह अंतर दोनों में से छोटी आय का एक पूर्व निश्चित अनुपात हो। यदि इस तर्क को अपनाया जाए तो आनुपातिक आय-कर का श्रम के आबंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस मामले में दोनों आयों का अनुपातिक अंतर पूर्ववत् बना रहता है। परंतु प्रगामी आय कर से आयों का करोपरांत अनुपातिक अंतर बदलने के फलस्वरूप कर-पूर्व अधिक आय वाले रोज़गारों की स्वीकारिता घट जाती है।

- उत्पादन संसाधनों की संयुक्त उपलब्धि/आपूर्ति में परिवर्तन। (Supply of Resources).

इसी प्रकार संसाधनों की दीर्घकालीन पूर्ति में आर्थिक विकास के माध्यम से परिवर्तन के अतिरिक्त बाज़ार-शक्तियों सहित विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कारक भी सक्रिय रहते हैं। इससे कर-नीति के संभावित प्रभावों का विधिवत् अध्ययन कर पाना और भी कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए पुराने मतानुसार भूमि की सकल उपलब्ध मात्रा कर से प्रभावित नहीं हो सकती, परंतु उसका प्रयुक्ति ढाँचा और निर्दिष्ट उपयोगों के लिए इसकी उपलब्धि अवश्य प्रभावित हो सकते हैं। इसके विपरीत वर्तमान में भूमि की परिभाषा को विस्तृत अर्थों में लेते हुए इसकी सकल मात्रा को परिवर्तनीय माना जाने लगा है।
संसाधनों की आपूर्ति का प्रश्न अति जटिल और बहुआयामी है। इस बहुआयामी जटिलता के कारण प्रायानुसार हमारा अध्ययन संसाधनों की आपूर्ति के कुछ अंशों के एक सरल चित्रण तक ही सीमित रहेगा उदाहरणार्थ श्रम की पूर्ति का अध्ययन केवल श्रम की प्रयुक्ति अर्थात् इसकी एक पूर्वनिश्चित मात्रा के रोजगार में लगने अथवा

Scanned by CamScanner

बेरोजगार रहने तक ही सीमित रहेगा। इसी प्रकार पूँजी के मालिक केवल इस बात पर विचार किया जाएगा कि करों का बचत एवं निवेश की दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

(2) आय और धन वितरण पर प्रभाव: (Effect of Redistribution)

वितरणीय असमानताओं की समस्या पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है। अल्पावधि में देश की उत्पादन क्षमता को असमानताओं को घटाने के प्रयत्नों के प्रतिकूल प्रभाव से बचना कम कठिन होता है। इसका कारण यह है कि वितरणीय नीति का निवेश तथा उत्पादन आदि पर पड़ने वाले प्रभाव को सक्रिय होने में समय लगता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं लगता कि सरकार चाहते हुए भी अल्पकाल में असमानताओं को समुचित रूप से दूर कर सकती है। ऐसा करने में इसे कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है :-

सामान्य स्थितियों में आय और धन का शीघ्रतापूर्वक पुनर्वितरण संभव नहीं होता। यह स्थिति विशेषकर तब लागू होती है जब निजी स्वामित्व और उत्तराधिकारिता की संस्थाओं के रहते असमानताओं को घटाने के लिए आय कर, व्यय कर, धन कर, आदि जैसे प्रत्यक्ष करों का उपयोगी किया जा रहा हो।

सरकार नहीं चाहती कि असमानताओं को घटाने की नीति से विकास आदि पर पड़ने वाले दीर्घकालीन संभावित प्रतिकूल प्रभावों की अवहेलना किया जाए। इससे भविष्य में गरीबी की समस्या के अधिक कठिन हो जाने का संभावन बढ़ जाती है।

एक अल्पविकसित देश में, संविधान द्वारा असमानताओं को घटाने में कई बाधाएँ आती हैं। प्रत्यक्ष करों की दरें तो प्रगामी होती हैं, परंतु उनसे प्राप्य कर-राजस्व अपर्याप्त रहता है, तथा सरकार को परोक्ष करों का सहारा लेना पड़ता है। इसके विपरीत परोक्ष करों को कुल मिलाकर ही

प्रपर्याप्त स्तर तक प्रगामी बना पाना लगभग असंभव होता है। इसके अतिरिक्त परोक्ष करों से कीमतें बढ़ती हैं, जिससे असमानताओं में भी वृद्धि होती है।
कराधान के दीर्घकालीन वितरणीय प्रभावों को निश्चित रूप से समानतानुकूल बनाया जा सकता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं बनता कि असमानताएँ वास्तव में भी कम हो जाएँगी। इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में अनेक ऐसे कारक भी होते हैं जो असमानताओं को सुदृढ़ करने की दशा में सक्रिय होते हैं। कर-प्रणाली के ढाँचे की संरचना में सरकार के सामने यह प्रश्न भी उठता है कि इसमें अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन विकास दर में कमी न आए। अतः बहुधा उनका यह लक्ष्य रहता है कि असमानताओं के परिशुद्ध स्तर में तो भले ही वृद्धि हो जाए परंतु आनुपातिक स्तर पर ऐसा न हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करों को समुचित ढंग से प्रगामी ढाँचे में ढालने के प्रयास के साथ-साथ सार्वजनिक व्यय-नीति को भी समाज कल्याण के दृष्टिकोण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। निजी उद्यम को आर्थिक विकास मे यथाशक्ति योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना तथा सरकारी क्षेत्र की लाभ-आय और बचत क्षेत्र को सक्षम बनाना भी इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं।

(3) आर्थिक स्थिरता और स्फीति दबाव (Economic Stability and Inflation)

~~यदि बाजार व्यवस्था~~ कीन्स के पश्चात् के अर्थशास्त्रियों ने संतुलित बजट गुणक सिद्धांत (Balance Budget Multiplier) का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सकल प्रभावी माँग में परिवर्तन लाने के लिए बजट को असंतुलित करना ज़रूरी नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार अपने बजट के आकार को

बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में फैलाव ला सकती है तथा इसी प्रकार अपने बजट के आकार को अर्थव्यवस्था के संकुचन के लिए छोटा कर सकती है। इस सिद्धांत की अवधारणा यह है कि सरकार अपने व्यय का सारा वित्त-पोषण केवल कर-राजस्व से ही करेगी।

अर्थव्यवस्था पर कराधान का प्रभाव केवल इसके आकार पर ही निर्भर नहीं करता। इसमें कराधान के ढाँचे और व्याख्यात्मक संरचना की भी अग्रणीय भूमिका रहती है। उदाहरण के लिए परोक्ष करों की यह विशेषता है कि इनसे कीमतों में वृद्धि होती है तथा वितरणीय असमानताएँ बढ़ती हैं। परंतु स्पष्ट है कि परोक्ष करों के प्रभावों का विस्तारपूर्ण अध्ययन तभी संभव है जब करारोपित वस्तुओं की माँग लोचों की जानकारी हो और उन पर लगाए गए करों की दरों आदि का ज्ञान हो। उदाहरण के लिए कम माँग लोच वाली वस्तुओं पर लगा कर क्रेताओं को वहन करना पड़ता है, जिससे कीमतों में सीधे वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं की माँग लोचदार होती है, उन पर लगे करों का भार उत्पादकों को वहन करना पड़ता है, जिससे उनकी लाभ-आय में कमी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप विक्रेता करारोपित वस्तुओं की उपलब्धता में कमी करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कीमतों को बढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया का प्रभाव उन वस्तुओं पर अधिक होता है जिनकी पूर्ति अधिक लोचदार हो। यदि करारोपित वस्तुएँ उपभोग वस्तुएँ हों तो रहन-सहन के लागत-स्तर में वृद्धि के कारण श्रमिकों का वेतन बढ़ाना पड़ता है जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि द्वारा कीमतों में वृद्धि का दौर फिर से शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति कच्चे माल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं पर करारोपण से भी उत्पन्न होती है।

एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की अनम्यताएँ होती हैं तथा इसी प्रकार कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी एकाधिकारिता

जैसी कई अन्य अनम्यताएँ हो सकती हैं। ऐसा होने की स्थिति में मंदी तथा मुद्रा-स्फीति एकसाथ अस्तित्व में रह सकते हैं। इस समस्या का समाधान करों में केवल वृद्धि अथवा कमी से नहीं मिल पाता। इसके लिए कर-प्रणाली में काफी ब्यौरे-वार संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, और कई अन्य करोत्तर कदम उठाने पड़ते हैं।

Scanned by CamScanner